



कार्यालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.06.2026 को राँची जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मुहर्रम ताजिया जुलूस निकलने की सूचना प्राप्त होने के कारण विद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं को काफी असुविधा होने की संभावना है। वैसी स्थिति में दिनांक 27.06.2026 को जिले के सभी कोटि के मध्य/उच्च एवं निजी विद्यालय का पठन-पाठन पूर्ण रूप से स्थगित रखते हुए विद्यालय को पूर्णतः बन्द रखने का आदेश दिया जाता है।

संबंधित विद्यालय प्रबंधन को निदेश दिया जाता है कि वे उल्लेखित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

यदि उक्त तिथि को किसी प्रकार का परीक्षा आयोजित करने की सूचना पूर्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची को दी गई है तो वे परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं।

ह0/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
राँची।

ह0/-

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक 1982 / राँची, दिनांक 26 / 06 / 2026

प्रतिलिपि:- जिले के सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी कोटि के विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/संबंधित शिक्षक/शिक्षिका/संबंधित विद्यालय प्रधान एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक/माध्यमिक एवं +2 उच्च विद्यालय/सचिव/ प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/उप विकास आयुक्त, राँची एवं क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।


26/6/2026

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
राँची।

108/26/06/2026

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
राँची।